

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून
 वनादेश सं० 10 / 1-12(20) देहरादून दिनांक, 16 मार्च, 2018

पदोन्नति/तैनाती

इस कार्यालय के पत्रांक 929/1-12(11) दिनांक 29-12-202017 द्वारा मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति समिति का गठन किया गया था। पदोन्नति समिति की दिनांक 03-01-2018 को बैठक आयोजित की गयी। पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित वरिष्ठ सहायक वेतनमान रू० 29200-92300 वेतन मैट्रिक्स लेवल-5 के कार्मिकों को प्रधान सहायक वेतनमान 35,400-1,12,400 वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर उनकी तैनाती उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित कार्यालय में जनहित में की जाती है :-


क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान कार्यालय जिसमें कार्यरत हैं	पदोन्नति के उपरान्त तैनाती का कार्यालय
1	2	3	4
1	श्रीमती गायत्री वर्मा	प्र०व० भूमि संरक्षण वन प्रभाग नैनीताल	प्र०व० भूमि संरक्षण वन प्रभाग नैनीताल
2	श्रीमती अनीता बेलवाल	वन वर्धनिक साल क्षेत्र हल्द्वानी	वन वर्धनिक साल क्षेत्र हल्द्वानी
3	श्रीमती प्रमिला पन्त	प्र०व०, रामनगर वन प्रभाग रामनगर	प्र०व०, रामनगर वन प्रभाग रामनगर
4	श्री ललित मोहन सती	प्र०व०, रामनगर वन प्रभाग रामनगर	प्र०व०, रामनगर वन प्रभाग रामनगर
5	श्री विशाल सिंह	प्र०व० कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी	प्र०व० चकराता वन प्रभाग, कालसी
6	श्रीमती मनोहरी रावत	प्र०व०, रामनगर वन प्रभाग रामनगर	प्र०व०, रामनगर वन प्रभाग रामनगर
7	श्रीमती चम्या उप्रेती	प्र०व०, अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा	अ०प्र०व०सं०, वन अनुसंधान प्रबंधन हल्द्वानी
8	श्रीमती गंगा मेहता	प्र०व०, अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा	प्र०व०, अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

1. उक्त कर्मचारियों द्वारा पदोन्नति का परित्याग करने पर उत्तराखण्ड शासन वित्त (वे०आ०-सा०नि०) अनुभाग-7 सं० 11/xxvii(7)30(14)/2017 दिनांक 17-02-2017 के संलग्नक-1 के बिन्दु सं० 22 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

2. संबंधित नियंत्रक अधिकारी उपरोक्त पदोन्नत कार्मिकों को प्रत्येक दशा में दिनांक 27-03-2018 तक कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपरोक्त तैनाती स्थल के लिए कार्यमुक्त कर दें और यदि आवश्यकता पड़े तो "एक तरफा" अवमुक्त किया जाये।

3. यदि संबंधित कार्मिक द्वारा निर्धारित तिथि तक पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान नहीं दिया जाता है तो संबंधित का पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

4. कार्मिक की पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान अथवा पदोन्नति स्वीकार न करने संबंधी सूचना इस कार्यालय व प्रमुख वन संरक्षक प्रशासन, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक HoFF, उत्तराखण्ड, देहरादून को कार्मिक के अवमुक्त/योगदान के तत्काल पश्चात अर्थात् 31-03-2018 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाये।


 16.03.2018

5. जिन कार्मिकों को इस पदोन्नति के फलस्वरूप वर्तमान कार्यालय/स्थल में ही तैनाती दी जा रही है, उन कार्यालयों में पद रिक्त न होने या अन्यथा की दशा में उनका स्थानान्तरण/तैनाती यथा आवश्यकता स्थानान्तरण नीति अनुसार किये जाने बावत विचार किया जायेगा।

(मोनिष मल्लिक)

प्रमुख वन संरक्षक

मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक
प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।

270 - 10/1-12(20) विनिलिपि 7

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आदेश में अंकित समस्त कार्यालय।
2. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख वन संरक्षक (प्रशासन), कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक HoFF, उत्तराखण्ड।
4. संबंधित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
5. आई0टी0जी0सी0, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट में अपलोड हेतु।
6. अधिष्ठान/गार्ड बुक।

(मोनिष मल्लिक)

प्रमुख वन संरक्षक

मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक
प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Wland

16.03.2018